



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941
No. 730]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 937(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 80 जञकक की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (15वां संशोधन) नियम, 2019 है।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. आय-कर नियम, 1962 में उपाबंध 2 में "प्ररूप 10घक" के स्थान पर निम्नलिखित "प्ररूप" रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 10घक

[नियम 19कख देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जञकक के अधीन रिपोर्ट

1. मैंने/ हमने * 31 मार्च, -----को समाप्त हुए वर्ष के दौरान-----के कारबार में लगे निर्धारिती ----- (स्थायी खाता संख्यांक सहित निर्धारिती का नाम और पता) के लेखाओं और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है।
2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं* कि निर्धारण वर्ष-----की बाबत आयकर अधिनियम 1961 की धारा जञकक की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा दावा किए जाने वाली कटौती -----रूप है, जिसका अवधारण पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती

द्वारा उक्त कारबार की दशा में उपगत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के आधार पर किया गया है। उक्त रकम इस प्ररूप को उपाबंध में दिए गए व्यौरों के आधार पर निकाली गई है।

स्थान

तारीख

(लेखपाल के हस्ताक्षर और मुद्रा)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम-----

पूरा पता-----

सदस्यता संख्या-----

टिप्पणः

1. *जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।
2. यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 32) के अर्थातर्गत ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जानी है जिसके पास उस अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन विधिमान्य व्यवसाय प्रमाण पत्र है और जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है।
3. यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित बात का उत्तर नकारात्मक है या कोई शर्त लगाकर दिया गया है तो उसके लिए कारण अवश्य दिए जाने चाहिए।

उपाबंध
(प्ररूप 10घक का पैरा 2 देखिए)

1.	निर्धारिती का नाम					
2.	निर्धारिती का पता					
3.	निर्धारिती का स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्यां/					
4.	निर्धारण वर्ष					
5.	अतिरिक्त कर्मचारी उपगत लागत					
	(1)	किसी विद्यमान कारबार की दशा में				
		(क)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को कर्मचारी की संख्या			
		(ख)	पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारी की संख्या			
		(ग)	ऐसे अतिरिक्त अधिकारियों की संख्या** जिनकी उपलब्धियां धारा 80 अजकक के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं :-			
			(i)	पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित	ग(i)	
			(ii)	तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नियोजित	ग(ii)	
			(iii)	कुल [ग(i)+ ग(ii)]	ग(iii)	
		(घ)	निम्नलिखित के संबंध में, अतिरिक्त कर्मचारी को संदत्त या संदेय उपलब्धियों** की कुल रकम जो धारा अजकक अधीन कटौती की हकदार है,-			
			(i)	(ग)(i) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर्मचारी	घ(i)	

		(ii)	(ग)(ii) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर्मचारी	घ(ii)	
		(iii)	कुल रकम #[घ(i)+ घ(ii)]		घ (iii)
	(ड.)	निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारियों को संदेय या संदत्त उपलब्धियों के संदाय के संबंध में धारा 80अजकक के अधीन कटौती के लिए पात्र कुल रकम,-			
		(i)	पूर्व वर्ष [(घ) (iii) में संगणित रकम का प्रतिशत 30]	ड. (i)	
		(ii)	पूर्व वर्ष का तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष	ड. (ii)	
		(iii)	पूर्व वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के पहले का वर्ष	ड. (iii)	
		(iv)	कुल[ड. (i) + ड. (ii) + ड. (iii)]#		ड.(iv)
	II	किसी नए कारबार की दशा में, कारबार के प्रथम वर्ष# के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को संदत्त या संदेय उपलब्धियों** की रकम का 30 प्रतिशत,			
	6.	टिप्पणियां			

टिप्पणः

1. * “अतिरिक्त कर्मचारी” से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित किया गया है और जिसके नियोजन से नियोजक द्वारा पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,-

(क) ऐसा कर्मचारी जिसकी कुल उपलब्धियां पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास से अधिक हैं ;या

(ख) ऐसा कर्मचारी जिसके लिए संपूर्ण अभिदाय का कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन सरकार द्वारा संदाय किया जाता है;या

(ग) पूर्व वर्ष के दौरान दो सौ और चालीस दिवस से कम की अवधि के लिए (परिधान के विनिर्माण के कारबार में लगे किसी निर्धारिती की दशा में एक सौ पचास दिवस) नियोजित कोई कर्मचारी ;या

(घ) ऐसा कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में सहभागी नहीं है।

2. ** “उपलब्धियां” से किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के बदले में उसे संदत्त या संदेय कोई धनराशि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है:-

(क) नियोजक द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मचारी के फायदे के लिए किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में संदत्त या संदेय कोई अभिदाय; और

(ख) किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के पर्यवसान या अधिवर्षिता या स्वैच्छया निवृत्ति के समय संदत्त या संदेय उपदान, पृथक्करण वेतन, अवकाश नकदीकरण, स्वैच्छया निवृत्ति संबंधी फायदे, पेंशन का सरांशिकरण और वैसा ही कोई अन्य एकमुश्त संदाय।

3. # रकम में खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से किसी इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली द्वारा या किसी अन्य विहित इलैक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से भिन्न संदत्त उपलब्धियां सम्मिलित नहीं होगी।,”

[अधिसूचना सं. 104/2019/फा.सं.370142/28/2019-टीपीएल]

जावेद अख्तर, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि.858(अ), तारीख 18.11.2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।